


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
04.01.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता व 4 के ससुर व 5 के नाना बलवन्त सिंह के नाम चक 4 जेकेएम तह. रायसिंहनगर के मु.नं. 16 प.नं. 172/373 के कि.नं. 12/2,13/1,18/1,19,20/2, 21/2,22 व 23/1 की 1.550 है. कमाण्ड भूमि खातेदारी थी। बलवन्त सिंह का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी की 1/5 हिस्सा भूमि विरास्तन हिस्सा में आती है, जिसका इंतकाल होना शेष है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को बेचने की फिराक में है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णाय क्षति होगी।</p> <p>वकील अप्रार्थीगण 3-7 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित रकबा पंजीकृत बैयनामा पूर्ण प्रतिफल अदा करते हुए बलवन्त सिंह के खरीद कर प्राप्त कर अपनी मृत्यु तक स्वयं काबिज काश्त रहे हैं। बलवन्त सिंह ने अपने पोते सुखजिन्द्र सिंह को विवादित भूमि की वसीयत दिनांक 29.06.2018 को करवा दी थी। प्रार्थी का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं रह गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जावे।</p> <p>बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 7 द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र पेश किया गया है। पंजीकृत वसीयत पेश की गयी है। वाद वर्णित सम्पत्ति प्रथम दृष्टया स्वार्जित प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थी सं. 7 के हित संरक्षण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं है। मूल वाद में हक आदि प्रश्न निश्चित होने हैं। ऐसी स्थिति में निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.09.2018 को निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: center;">  (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर </p>	

